

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पारम्पिक धोलपुर, राज

कार्यालय-आदेश

गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र 2003-04 से उच्च प्राथमिक स्तर हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम की मान्यता उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं निरीक्षण के आधार पर परिशिष्ठ -2 तथा आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ति शैक्षिक सत्र प्रारम्भ में 05 जुलाई 03 तक करने के अनुबन्ध पर दी जाती है।

मान्यता शर्तों की पालना न करने अथवा सधम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी विपरित स्थिति पाये जाने पर अथवा संस्था द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है।

- 1- विद्यालय का निर्मित भवन में 1 जुलाई 03 (शैक्षिक सत्र प्रारम्भ से) तक आवेग।
- 2- प्रस्ताव का नुस्खा प्रमाण-पत्र 2003-04, धोलपुर जिला (आवेग) / अनविद्यालय से प्राप्त कृत SIERT द्वारा निर्धारित होना चाहिये।
- 4- छात्रों से प्राप्त की जाने वाली फीस का विवरण प्रस्तुत करें। (आवेग)।
- 5- फीसों के अनुसूची होना चाहिए।

जिला शिक्षा अधिकारी
पारम्पिक धोलपुर

क्रमांक: जिजिअ/प्राश/धो/मान्यता/03-04/ (584-85 दिनांक: 25/3/03

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- श्री मातृ शिक्षा उप निदेशक महोदय, पारम्पिक शिक्षा जम्पुर
- 2- व्यवस्थापक/सचिव, ए.वी.एम. कॉन्वेंट स्कूल, धोलपुर-15, राज
- 3- रक्षित प्रति।

Attested
D.S. Baidari
PRINCIPAL

जिला शिक्षा अधिकारी
पारम्पिक धोलपुर